भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न *304
मंगलवार,17 दिसंबर, 2024/26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं पर जीएसटी

†*304. श्री टी. आर. बालूः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य और सहकारी समितियां, सहकारी समितियों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं को जीएसटी से छूट और अन्य रियायतें दिए जाने की मांग कर रही हैं ताकि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार हो सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है; और
(ग) सहकारी संस्थानों की सफलता में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री
(**श्री अमित शाह**)

(क) से (ग): संसद के पटल पर एक विवरणी रखी गई है।

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 304 "सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं पर जीएसटी" के संबंध में भाग (क) से (ग) श्री टीआर बालू, माननीय संसद सदस्य के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख): 6 जुलाई 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, सहकारिता मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सहकारी समितियों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें कर से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हों, जो अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को मिलने वाले लाभों के बराबर नहीं हैं। इस संबंध में, तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री से दिनांक 25.11.2024 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें सहकारी समितियों के सहकारी उत्पादों और सेवाओं के लिए जीएसटी छूट की मांग की गई थी। जीएसटी से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा जीएसटी काउंसिल (एक संवैधानिक निकाय) द्वारा की जाती है। हाल ही में गुड़ के उप-उत्पाद (मोलासिस) पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सहकारी चीनी मिलों को लाभ होगा। सहकारी समितियों को प्रदान किए गए राहत/लाभों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): सरकार ने सहकारी संस्थानों की सफलता में सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं –

I. कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण- पैक्स को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया है , जिसमें देश में सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाने और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और DCCBs के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। परियोजना के तहत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 67,930 पैक्स को मंजूरी दी गई है। ईआरपी सॉफ्टवेयर पर कुल 40,727 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया है और 29 राज्यों/ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित और जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

II. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कम्प्यूटरीकरण: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और समर्थन प्रणाली की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 4.26 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार के हिस्से के रूप में जारी की गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित एवं जारी राशि का एआरडीबी का राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

III. सहकारी चीनी मिलों को सशक्त करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना शुरू की गई: सरकार ने इथेनॉल संयंत्रों या सह-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए NCDC के माध्यम से एक योजना शुरू की है। अब तक, मंत्रालय ने योजना के तहत एनसीडीसी को 750 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपये) जारी किए हैं और एनसीडीसी ने अब तक 58 CSM को 8040.38 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

IV. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए संसद के एक अधिनियम (1962 का एनसीडीसी अधिनियम) के तहत 14.03.1963 को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निगम की स्थापना की गई थी। एनसीडीसी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और फसलोपरान्त सुविधाओं की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सुदृढ़ करना और विकसित करना है। एनसीडीसी विभिन्न कार्यकलापों और विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका ब्योरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है। एनसीडीसी ने सहकारी समितियों के विकास के लिए संचयी रूप से 3,78,544.60 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्यकलाप-वार और राज्य-वार संवितरण **अनुलग्नक -V** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

(i) सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक की आय पर सहकारी समितियों पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है । इससे सहकारी समितियों और इसके सदस्य, जो अधिकांश ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं, की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

(ii) सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर दर में कमी: सहकारी समितियों को 18.5% की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करना अपेक्षित था । तथापि, कंपनियों द्वारा 15% की दर पर उक्त कर का भुगतान किया जाता था । सहकारी समितियों और कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए भी इस कर की दर को घटाकर 15% कर दिया गया है ।

(iii) सहकारी समितियों के लिए IT अधिनियम, 1961 की धारा 269 ST के तहत नकद लेनदेन में राहत: धारा 269ST किसी एकल घटना या अवसर के संबंध में (क) किसी व्यक्ति से एक दिन में, या (ख) किसी भी लेनदेन से; या (ग) बहु-लेनदेन से 2 लाख से अधिक की नकद प्राप्तियों को प्रतिबंधित करती है । इस उपबंध के उल्लंघन की दशा में, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन धारा 269ST के उल्लंघन के लिए उक्त राशि पर जुर्माना लगाया जाता है । अपने सदस्यों को दूध की कीमत के भुगतान के लिए दुग्ध सहकारी समितियां, किसी एक वर्ष में एक से अधिक दिन, विशेषकर बैंक छुट्टियों में, किसी एक वितरक से जिसके साथ उनका करार है, 2 लाख से अधिक नकद प्राप्त होता है । परिणामस्वरूप, सहकारी समितियों का उनके वितरक के साथ करार को एक घटना/अवसर मानकर आयकर विभाग द्वारा सहकारी समितियों पर भारी जुर्माना लगाया जाता था । CBDT ने दिनांक 30.12.2022 के परिपत्र सं. 25/2022 के माध्यम

से स्पष्टीकरण जारी किया कि सहकारी समितियों के संबंध में, डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप करार अपने आप में धारा 269 ST के खंड (C) के उद्देश्य से किसी घटना या अवसर का गठन की विरचना नहीं करता है । सहकारी समिति द्वारा ऐसे डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप करार से संबंधित विगत वर्ष के किसी भी दिन की रसीद, जो निर्धारित सीमा के भीतर हों, को उस विगत वर्ष के एक से अधिक दिनों के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है । इससे सहकारी समितियां अपने सदस्यों को, जो अधिकांशत ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं, आयकर जुर्माना के भय के बिना बैंक अवकाश के दिन भुगतान करने में समर्थ होंगी ।

(iv) नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर की रियायती दर: दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कर दर का लाभ मिलेगा जैसा कि वर्तमान में नई विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है ।

(v) प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा नकद ऋण/लेनदेन के लिए राहत: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS के अनुसार नकद में 20,000 रुपये से अधिक जमा या ऋण की अनुमति नहीं है । उल्लंघन करने पर ऋण या जमा राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है । आयकर अधिनियम की धारा 269SS में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि जहां किसी प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS) या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) द्वारा अपने सदस्य से

जमा राशि स्वीकार की जाती है या किसी PACS या PCARDB से उसके सदस्य द्वारा नकद में ऋण लिया जाता है, तो उनकी बकाया शेष राशि सहित ऐसे ऋण या जमा की धनराशि 2 लाख रुपये से कम होने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी । पहले यह सीमा 20,000 रुपये प्रति सदस्य थी ।

(vi) **प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा नकद में ऋण की चुकौती पर राहत:** आयकर अधिनियम की धारा 269T के अनुसार, नकद में 20,000 रुपये से अधिक ऋण की चुकौती या जमा की अनुमति नहीं है । उल्लंघन करने पर ऋण या जमा राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है । आयकर अधिनियम की धारा 269T में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि जहां किसी PACS या PCARDB द्वारा अपने सदस्य को जमाराशि का पुनर्भुगतान किया जाता है या ऐसे ऋण का भुगतान PACS या PCARDB को उसके सदस्य द्वारा नकद में किया जाता है, तो उनकी बकाया शेष राशि सहित ऐसे ऋण या जमा की धनराशि 2 लाख रुपये से कम होने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी । पहले यह सीमा 20,000 रुपये प्रति सदस्य थी ।

(vii) **सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बिना नकदी निकालने की सीमा में वृद्धि**: सहकारी समितियां, विशेषकर डेयरी सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्हें कभी-कभी अपने सदस्यों को नकद में भुगतान करना पड़ता है । इसके लिए उन्हें बैंकों से नकद निकालना पड़ता है । परिणामस्वरूप, वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कुल नकद निकासी होने पर TDS लागू होती थी । राहत प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (TDS) किए बिना नकद निकासी की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

(viii) **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 36(1)(xvii) को अंतर्विष्ट किया गया था ताकि चीनी बनाने के व्यवसाय में लगी सहकारी समिति, अर्थात् सहकारी चीनी मिलों (CSMs) द्वारा किए गए व्यय की राशि के कारण कटौती का उपबंध किया जा सके । यह उपाय दिनांक 01.04.2016, अर्थात निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू हुआ । तथापि, सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसान सदस्यों को गन्ना मूल्य के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को किसान सदस्यों की आय वितरण मानने और परिणामी कर देनदारियों में अस्पष्टता रहने के मुद्दे पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र सं. 18/2021 दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया । तदनुसार, सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान पर उनकी परिणामी कर देयताओं को दिनांक 01.04.2016 से घटाया गया है ।

(ix) **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुरानी लंबित समस्याओं का समाधान:** सहकारी चीनी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का अवसर प्रदान किया गया है । तदनुसार, वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से आई.टी अधिनियम की धारा 155 में भी संशोधन कर एक नई उप-धारा (19) अंतर्विष्ट की गई है । अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (19) के अधीन क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को आवेदन दाखिल करने की रीति को मानकीकृत करने और उक्त धारा के अधीन क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा इसके निपटान के लिए CBDT ने दिनांक

27.07.2023 के परिपत्र सं. 14, 2023 के माध्यम से संबंधित सहकारी चीनी मिलों द्वारा आवेदन करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है । इससे दशकों से लंबित इस मामले में आयकर के मुद्दों का समाधान हुआ है । इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।

अनुलग्नक-II

कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को सुदृढ़ बनाने की परियोजना के तहत पैक्स को स्वीकृत और जारी राशि का राज्यवार विवरण-

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत पैक्स की संख्या	भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हिस्सा (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	2,037	18.67
2	अरुणाचल प्रदेश	14	0.27
3	असम	583	12.16
4	बिहार	4,495	32.95
5	छत्तीसगढ़	2,028	25.07
6	गोवा	58	0.45
7	हरियाणा	710	7.29
8	हिमाचल प्रदेश	1,789	16.88
9	झारखंड	1,500	18.54
10	कर्नाटक	5,491	55.64
11	मध्य प्रदेश	4,536	58.65
12	महाराष्ट्र	12,000	121.60
13	मणिपुर	232	2.55
14	मेघालय	112	1.23
15	मिजोरम	25	0.71
16	नागालैंड	231	2.82
17	पंजाब	3,482	25.52
18	राजस्थान	6,781	67.08
19	सिक्किम	107	2.08
20	तमिलनाडु	4,532	45.68
21	त्रिपुरा	268	5.59
22	उत्तर प्रदेश	5,686	53.58
23	पश्चिम बंगाल	4,167	30.54

क्रम सं.	**राज्य**	**स्वीकृत पैक्स की संख्या**	**भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हिस्सा (करोड़ रुपए में)**
24	उत्तराखंड	670	3.69
25	गुजरात	5,754	80.49
26	जम्मू और कश्मीर	537	8.62
27	पुड्डुचेरी	45	0.61
28	अंडमान और निकोबार	46	0.69
29	लद्दाख	10	0.12
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	0.12
31	चंडीगढ़	,	,
32	ओडिशा	,	,
33	तेलंगाना	,	,
34	केरल	,	,
कुल		**67,930**	**699.89**

अनुलग्नक- III

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत अनुमोदित और जारी राशि का राज्य-वार ब्योरा एआरडीबी (ARDBs)-

क्रम सं.	राज्य	कुल संख्या स्वीकृत इकाइयां (ARDBs) की संख्या	कुल जारी भारत सरकार का हिस्सा (वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25)
1.	पुड्डुचेरी	2	389630
2.	पंजाब	113	4675558
3.	जम्मू और कश्मीर	51	2635731
4.	त्रिपुरा	6	386765
5.	उत्तर प्रदेश	342	12720267
6.	कर्नाटक	207	8027519
7.	तमिलनाडु	216	8192106
8	हरियाणा	90	0
9.	हिमाचल प्रदेश	88	5610032
10.	गुजरात	195	0
11.	राजस्थान		0
12.	पश्चिम बंगाल		0
13.	केरल		0
	कुल	1310	42637608

अनुलग्नक -IV

भाग क: निगम प्रायोजित योजना

सहायता प्राप्त कार्यकलाप:
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (सावधि ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऋण घटक एनसीडीसी की अपनी निधियों में से प्रदान किया जाता है, जबकि पात्र सब्सिडी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)) द्वारा सहायता प्राप्त कार्यकलापों की सूची इस प्रकार है:-

क) विपणन;
ख) प्रसंस्करण;
ग) भंडारण;
घ) शीत श्रृंखला;
ङ) औद्योगिक;
च) सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण;
छ) ऋण एवं सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं;
ज) सहकारी बैंकिंग इकाई;
झ) कृषि सेवाएं;
ञ) जिला योजना योजनाएं;
ट) कमजोर वर्ग सहकारी समितियां;
ठ) सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता;
ड) प्रोत्साहन एवं विकास कार्यक्रम।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के केंद्रित उत्पाद

क **युवा सहकार - सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना**: इस योजना का उद्देश्य नए और/या अभिनव विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है।

ख **आयुष्मान सहकार:** इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

ग **नंदिनी सहकार:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता को गति प्रदान करना है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना तैयार करने, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण इनपुट को अभिसरण करेगा।

घ **डेयरी सहकार:** यह ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित अवसंरचना है । इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा अवसरंचना का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और/या विस्तार शामिल है।

ङ **डिजिटल सहकार:** डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, एनसीडीसी ने डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता अवसंरचना की कल्पना की है, जो एनसीडीसी द्वारा हैंडहोल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज के लिए है, जो भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसियों से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ जुड़ा हुआ है और जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों का डिजीटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग लेना है ।

च **स्वयं शक्ति सहकार योजना**:- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

छ **दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना**: एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम ऋण देने के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

भाग-ख: एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं

क **सहकारी चीनी मिलों को सशक्त करने के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान**-सहकारिता मंत्रालय।

ख **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)** भंडारण और भंडारण अवसंरचना के अलावा कृषि विपणन पर केंद्रीय क्षेत्रीय एकीकृत योजना (CSISAM) की उप-योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

ग **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) – एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन** – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

घ **कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी** - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

ङ **राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)** के बीज एवं पौध रोपण सामग्री उपमिशन (SMSP) के अंतर्गत बीज उत्पादन घटक को बढ़ावा देने के लिए सहायता ।

च **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** – मत्स्य पालन विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

छ **पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PMFME) -** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

ज **10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए योजना (FPOs)-** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

झ.**(i) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना** (**PMKSY**) – **खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

(ii) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (**PMKSY**) – **एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना –** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

ञ नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSTFDC) – जनजातीय कार्य मंत्रालय

ण.राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) - पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

थ. पुनः संरेखित पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) -मत्स्य पालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

अनुलग्नक- V

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार) तक कार्यकलाप- वार संवितरण रु. करोड़ में

क्रम.सं.	कार्यकलाप	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार)
1	विपणन	15235.42	19576.38	26705.60	27984.74	52916.88	56336.79
	निविष्टियाँ	462.24	29.41	74.05	46.96	2.75	
2	**प्रसंस्करण**						
2(क)	चीनी फैक्ट्री	1821.14	1542.44	1316.71	694.25	2176.31	2493.56
2(ख)	वस्त्र	129.32	96.40	24.94	104.25	44.35	107.41
2(ग)	**अन्य प्रसंस्करण इकाइयाँ**						
	i खाद्यान्न	1.06	1.07		0.85	1.44	1.15
	ii रोपित फसलें	7.56	2.21	2.14	-	1.31	0.38
	iii फल और सब्जियां	1.03	0.14	0.05	-	0.12	0.16
	iv तिलहन	3.25	1.65		0.68	0.17	0.54
	v लघु उद्योग				0	0.00	0.00
	पूर्ण योग 2(ग)	12.89	5.07	2.19	1.53	3.04	2.23
	कुल (2)	**1,963.36**	**1,643.91**	**1,343.84**	**800.02**	**2223.70**	**2603.20**
3	भंडारण	17.25	7.29	7.72	4.84	8.08	32.02
4	शीत श्रृंखला	7.36			-	11.06	10.20
5	**कमजोर वर्ग कार्यक्रम**						
	i मात्स्यिकी सहकारी समितियां	163.63	119.18	168.76	298.91	41.33	22.42
	ii डेयरी/पशुधन	415.33	168.50	569.16	264.70	301.45	26.52
	iii पोल्ट्री	4.61			-	0.00	0.00
	iv जनजाति/अनुसूचित जाति सहकारी समितियां	3.15			-	1.69	0.56
	v हथकरघा सहकारी समितियां	2.39	0.90	102.46	28.57	0.23	0.52

	vi	पावरलूम					0.00	0.00
	vii	महिला सहकारी समितियां	-	-	-	-	0.00	0.00
	vii	कॉयर	80.00		30.00	-	0.00	0.00
	viii	जूट	-	-	-	8.76	0.05	0.06
		कुल (5)	**669.11**	**288.57**	**870.38**	**600.94**	**344.75**	**50.08**
6	**सहकारी समितियों कम्प्यूटरीकरण**		36.52	30.87	25.06	45.02	0.42	0.00
7	**उपभोक्ता सहकारी समितियां**		3.39	0.89	2.69	1.40	4.13	0.00
8	**आईसीडीपी**		175.14	152.61	283.06	177.87	23.26	0.07
9	**सी, आईसी और एससी**							
	i	औद्योगिक सहकारी समितियां				-	0.00	0.00
	ii	क्रेडिट और सेवा	9,129.28	2,996.23	4,894.20	11,322.30	5000.77	6256.93
	कुल (9)		**9,129.28**	**2,996.23**	**4,894.20**	**11,322.30**	**5000.77**	**6256.93**
10	**युवा सहकार**			0.27		0.10	0.84	0.04
11	**पी एंड डी**		4.38	4.48	6.45	6.15	6.75	0.00
12	**एफपीओ**			2.32	8.04	38.25	48.33	38.08
13	**एफएफपीओ**					2.81	26.73	18.76
	कुल योग (1 से 14)		**27,703.43**	**24,733.24**	**34,221.08**	**41,031.40**	**60,618.47**	**65,346.17**

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार) तक राज्य-वार संवितरण **रु. करोड़ में**

क्रम.सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.28	-		0	1.69	0.56
2	आंध्र प्रदेश	405.62	603.98	2,831.59	9734.7	13,280.13	13,332.55
3	अरुणाचल प्रदेश	7.56	1.44	0.25	0.38	-	0.07
4	असम	14.34	5.59	3.57	17.48	0.89	1.71
5	बिहार	454.40	1,633.60	2,857.90	4053.75	815.83	5.49
6	चंडीगढ़			0.03	0.03	-	-
7	छत्तीसगढ़	5,500.35	12,000.07	12,400.87	8502.24	18,991.35	12,130.81
8	दमन और दीव				0	0.11	-
9	गोवा	0.11	0.19		0	-	0.03
10	गुजरात	118.34	52.25	37.40	370.8	586.99	259.75
11	हरियाणा	6,608.58	6,645.11	12,827.75	6655.24	9,887.36	12,380.50
12	हिमाचल प्रदेश	59.69	36.90	14.74	12.91	1.85	3.38
13	जम्मू और कश्मीर	-	-	0.13	0.58	0.71	0.75
14	झारखंड	8.25	0.92	1.79	4.63	2.54	27.77
15	कर्नाटक	151.67	170.69	164.49	112.54	261.35	430.98
16	केरल	363.89	303.54	371.85	704.74	275.89	582.34

17	**लक्षद्वीप**						0.02
18	**मध्य प्रदेश**	1,081.70	208.36	477.10	284.4	322.86	153.42
19	**महाराष्ट्र**	1,015.07	1,145.59	688.07	751.16	2,101.42	2,482.71
20	**मणिपुर**	4.79	-	0.04	30.38	6.60	0.39
21	**मेघालय**	-	57.80	0.04	0.14	0.22	0.12
22	**मिजोरम**	-	2.16	1.06	4.23	3.24	1.16
23	**नागालैंड**	13.37	6.07	0.17	1.2	0.67	0.50
24	**ओडिशा**	3.75	0.80	4.06	1.61	3.24	3.11
25	**पंजाब**	135.28	22.77	0.13	0.42	1,650.44	2,000.22
26	**पुड्डुचेरी**				0.06	-	-
27	**राजस्थान**	7,256.74	157.80	7.79	4.91	66.09	66.65
28	**सिक्किम**			-	0.14	0.22	0.05
29	**तमिलनाडु**	21.24	21.58	50.75	30.49	4.28	17.98
30	**तेलंगाना**	3,568.83	739.88	1,092.20	9304.97	12,174.11	20,982.02
31	**त्रिपुरा**	3.05	3.20	3.00	12.35	1.55	0.86
32	**उत्तर प्रदेश**	673.10	827.95	252.33	350.24	13.04	207.15
33	**उत्तराखंड**	12.34	17.22	80.36	10.5	149.13	3.88
34	**पश्चिम बंगाल**	128.35	59.13	44.16	63.36	4.96	2.69
35	**दिल्ली + अन्य**	82.74	8.61	7.46	10.82	9.71	266.55
	कुल	**27,703.43**	**24,733.24**	**34,221.08**	**41,031.40**	**60,618.47**	**65,346.17**